महोबा पुलिस

दिनांकः- 20.02.2021

सोशल मीडिया सेल

थाना कुलपहाड पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ 02 अभियुक्ताओं को किया गिरफ्तार...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री कालू सिंह के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध धरपकड व बरामदगी अभियान के क्रम मे दिनांक 19.02.2021 को थाना कुलपहाड प्रभारी निरीक्षकक रविन्द्र कुमार तिवारी द्वारा चौकी प्रभारी बेलाताल के नेतृत्व में गठित टीम ने अवैध शराब के विरुद्ध धरपकड अभियान में सम्मलित होकर अवैध शराब बेचते हुये 02 नफर अभियुक्ताओं को विहार रोड रेलवे क्रासिंग **ITI** स्कूल के सामने वहद कस्बा बेलाताल थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा से मय दो सफेद प्लास्टिक के डिब्बों में करीब 15 - 15 ली0 कुल 30 लीटर कच्ची देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता उपरोक्त के विरूद्ध बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर क्रमशः मु0अ0सं0 39/2021 धारा 60 EX ACT व मु0अ0सं0 40/2021 धारा 60 EX ACT के मुकदमे पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 अनमोल सिंह चौकी प्र0 बेलाताल 2.कां0 नागेन्द्र कुमार 3.म0कां0 सुधा पटेल
4. आबकारी निरीक्षक योगेश कुमार गुप्ता
5.आबकारी कां0 मुश्ताक उल्ला 6.आबकारी कां0 नशीम

गिरफ्तार अभियुक्ताओं का विवरणः-

1. सपना पत्नी रिंकू उम्र करीब 32 वर्ष निवासी कबूतरा डेरा कस्बा बेलाताल थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा
2. अनूपा पत्नी सूरज उम्र करीब 36 वर्ष निवासी कबूतरा डेरा कस्बा बेलाताल थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

थाना कुलपहाड पुलिस टीम ने अवैध रूप से जुआ खेल रहे 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री कालू सिंह के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध धरपकड व बरामदगी अभियान के क्रम मे दिनांक 19.02.2021 को थाना कुलपहाड प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र कुमार तिवारी द्वारा उ0नि0 महेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने जुआ में लिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध धरपकड अभियान में सम्मिलित होकर मोहल्ला हटवारा कस्बा व थाना कुलपहाड अवस्थित फारुख के घर के पास से दबिश देकर ताश-पत्तों से हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये 03 नफर अभियुक्तों क्रमशः 1. बृजनन्दन पुत्र परमलाल कुशवाहा उम्र 32 वर्ष 2. पुन्टी उर्फ महेन्द्र पुत्र लखनलाल अनुरागी उम्र 40 वर्ष 3. हल्के पुत्र रामप्रकाश खंगार उम्र 32 वर्ष को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 38/2021 धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 महेन्द्र प्रताप सिंह 2. कां0 मिथुन कुमार 3. HG रणजीत सिंह

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1. बृजनन्दन पुत्र परमलाल कुशवाहा उम्र करीब 32 वर्ष निवासी मु0 हटवारा कस्बा व थाना कुलपहाड़ जिला महोबा
2. पुन्टी उर्फ महेन्द्र पुत्र लखनलाल अनुरागी उम्र करीब 40 वर्ष निवासी मु0 हटवारा कस्बा व थाना कुलपहाड़ जिला महोबा
3. हल्के पुत्र रामप्रकाश खंगार उम्र करीब 32 वर्ष निवासी मु0 हटवारा कस्बा व थाना कुलपहाड़ जिला महोबा

मालफड- 1100-/- रू0 **जामा तलाशीः-** 700-/- रू0 **कुल बरामद धनराशि-** 1800 रू0

महोबा पुलिस

दिनांक:- 20.02.2021

सोशल मीडिया सेल

थाना चरखारी पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री राजकुमार पाण्डेय के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध धरपकड व बरामदगी अभियान के क्रम मे आज दिनांक 20.02.2021 को थाना प्रभारी चरखारी लाखन सिंह द्वारा उ0नि0 अविनाश कुमार मिश्र के नेतृत्व में गठित टीम ने अभियुक्तों के विरुद्ध धरपकड अभियान में सम्मलित होकर ग्राम रिवई थाना चरखारी जिला महोबा से एक नफर वारण्टी अभियुक्त सीताराम पुत्र जीवन उम्र करीब 60 वर्ष सम्बन्धित मु.न. 1706/14 मु.अ.स 48/15 धारा 279/337 **IPC** को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ.नि अविनाश कुमार मिश्र
2. का. संदीप कुमार थाना चरखारी जनपद महोबा।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का विवरण:-

सीताराम पुत्र जीवन उम्र करीब 60 वर्ष नि. ग्राम रिवई थाना चरखारी जनपद महोबा

महोबा पुलिस

दिनांकः- 20.02.2021

सोशल मीडिया सेल

थाना कुलपहाड पुलिस टीम ने शातिर अपराधियों के विरूद्ध की गैंग0 एक्ट की कार्यवाही...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम एंव क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री कालू सिंह के निकट पर्यवेक्षण मे अपराध एंव अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान प्रिवेन्टिव एक्शन व निरोधात्मक कार्यवाही के क्रम मे दिनांक 19.02.2021 को थाना कोतवाली कुलपहाड प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र कुमार तिवारी द्वारा गैंग लीडर अक्षय पुत्र घनश्याम अहिरवार उम्र करीब 22 वर्ष निवासी पुरानी बजरिया, मुगलपुरा कस्बा व थाना राठ जिला हमीरपुर जो अपने गैंग के सदस्यो के साथ मिलकर चोरी,लूट, छिनैती कर लोगो मे डर एंव आतंक फैलाने का काम किया जाता रहा है। इस गैंग का आम जनमानस मे इतना भय व आतंक व्याप्त है कि इस गैंग के विरूद्ध कोई भी जनता का व्यक्ति पुलिस से शिकायत या गवाही देने का साहस नही जुटा पाता है। इस गैंग के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 41/2021 धारा 3(1)गैंग0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। एंव मान0न्यायालय से जेल मे निरूद्ध अभियुक्तगण (1) अक्षय पुत्र घनश्याम अहिरवार उम्र करीब 22 वर्ष निवासी पुरानी बजरिया, मुगलपुरा कस्बा व थाना राठ जिला हमीरपुर (2) सुऐव खान पुत्र रक्खू खान उम्र करीब 22 वर्ष निवासी पुरानी बजरिया मुगलपुरा कस्बा व थाना राठ जिला हमीरपुर (3) शिवेन्द्र साहू उर्फ बन्टी पुत्र रामसुन्दर साहू उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम बबीना थाना कदौरा जिला जालौन से तलब कराकर मुकदमा उपरोक्त मे अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध वारण्ट बनाने हेतु तलब कराया गया है।

गैंग लीडर व सदस्यो का विवरण –

गैंग लीडर 1. अक्षय पुत्र घनश्याम अहिरवार निवासी पुरानी बजरिया, मुगलपुरा कस्बा व थाना राठ जिला हमीरपुर उम्र 22 वर्ष

व गैंग के सक्रिय सदस्य 2. सुऐव खान पुत्र रक्खू खान निवासी पुरानी बजरिया मुगलपुरा कस्बा व थाना राठ जिला हमीरपुर उम्र 22 वर्ष

3. शिवेन्द्र साहू उर्फ बन्टी पुत्र रामसुन्दर साहू निवासी ग्राम बबीना थाना कदौरा जिला जालौन उम्र 21 वर्ष

गैंग का आपराधिक इतिहास

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अक्षय पुत्र घनश्याम अहिरवार निवासी पुरानी बजरिया, मुगलपुरा कस्बा व थाना राठ जिला हमीरपुर उम्र 22 वर्ष

क्रंसं00	मु0अ0सं00	धारा	नाम थाना
1	142/2020	8/20 NDPS ACT	थाना कोतवाली राठ हमीरपुर
2	357/2020	392/411 भा0द0वि0	थाना कोतवाली कुलपहाड़
3	368/2020	3/25 A ACT	थाना कोतवाली कुलपहाड़

अभियुक्त सुऐव खान पुत्र रक्खू खान निवासी पुरानी बजरिया, मुगलपुरा कस्बा व थाना राठ जिला हमीरपुर उम्र 22 वर्ष का आपराधिक इतिहास

क्रंसं00	मुसं00अ0	धारा	नाम थाना
1	357/2020	392/411 भा0द0वि0	थाना कोतवाली कुलपहाड़
2	367/2020	3/25 A ACT	थाना कोतवाली कुलपहाड़

अभियुक्त शिवेन्द्र साहू उर्फ बन्टी पुत्र रामसुन्दर साहू निवासी ग्राम बबीना थाना कदौरा जिला जालौन उम्र 21 वर्ष का आपराधिक इतिहास

क्रंसं00	मु0अ0सं00	धारा	नाम थाना
1	357/2020	392/411 भा0द0वि0	थाना कोतवाली कुलपहाड़

गैंगस्टर बनाने वाली पुलिस टीमः-

1. श्री रविन्द्र कुमार तिवारी (प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कुलपहाड़)
2. का0 रन्धीर सिंह (थाना आरक्षी) 3. का0 हरीप्रताप सिंह (थाना आरक्षी)

थाना कोतवाली महोबा नगर पुलिस ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन पर वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी/धरपकड के अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 20.02.2021 को थाना कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री अनूप कुमार दुबे द्वारा गठित की गयी टीम जिसमें उ.नि.श्री अनुराग पाण्डेय मय हमराह कां0 अमन सिंह के द्वारा अभियान में सम्मिलित होकर वारण्टी अभियुक्त गयाप्रसाद कुशवाहा पुत्र भोलाप्रसाद निवासी पसवारा थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा सम्बन्धित केश संख्या 2840/2018 धारा 4/5 आवश्यक वस्तु अधि0,120B भादवि अपराध संख्या 640/17 सम्बन्धित वारण्ट माननीय न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोबा के ग्राम पसवारा महोबा से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का विवरणः-

गयाप्रसाद कुशवाहा पुत्र भोलाप्रसाद उम्र 27 वर्ष निवासी पसवारा थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री अनुराग पाण्डेय चौकी प्रभारी पसवारा थाना कोतवाली जनपद महोबा
2. कां0 अमन सिंह

..पुलिस अधीक्षक महोबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन समारोह हुआ सम्पन्न...

सडक सुरक्षा माह के समापन पर प्रतिभागी छात्रों को किया गया सम्मानित

आज दिनांक **20.02.2021** को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के समापन समारोह के दृष्टिगत जन जागरूकता अभियान के तहत जनपद महोबा के राजकीय बालिका इण्टर कालेज महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में अपर जिलाधिकारी महोबा श्री आर0एस0 वर्मा, **ARTO** श्री सुरेश कुमार वर्मा, **ARM** हेमन्त मिश्रा, **GGIC** प्रधानाचार्या श्रीमती सरगम खरे, श्री रामजी गुप्ता, समाजसेवी श्री दाऊ तिवारी, प्रभारी यातायात महोबा श्री अरविन्द मिश्रा, **SP PRO** श्री राजेश मौर्य आदि की मौजूदगी में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह दिनांक **21.01.2021** से **20.02.2021** तक का समापन कार्यक्रम किया गया। जिसमें स्थानीय जनपद के स्कूल कॉलेज के लगभग **100** छात्र-छात्राओं व व्यापार मंडल के पदाधिकारी व ऑटो ई रिक्शा एसोसिएशन के पदाधिकारीगण व ट्रैफिक वालंटियर को पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा संबोधन किया गया तथा बताया गया कि यातायात नियमों का पालन करें जिससे सड़क दुर्घटना की बढ़ोतरी पर अंकुश लगाया जा सके यातायात नियमों का पालन करने हेतु शपथ दिलायी गयी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान के दौरान जनपद महोबा के विभिन्न स्कूल कॉलेजों में चित्रकला लेखन तथा क्विज का कार्यक्रम किया गया था। जिसमें अव्वल आये हुये छात्रों/छात्राओं को पुरस्कृत कर उनका उत्साह वर्धन किया गया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान जनपद में यातायात व्यवस्था सुचारु रुप से बनाये रखने व यातायात में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने हेतु श्री अरविन्द मिश्रा प्रभारी यातायात को शॉल/प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो प्रदान किया गया तथा इसी क्रम में यातायात पुलिस में कार्यरत सभी को प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया गया।

इस दौरान कार्यक्रम का संचालन श्रीमती सरगम खरे- प्रधानाचार्य **GGIC**महोबा द्वारा किया गया।

थाना चरखारी पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ अभियुक्तों को किया गिरफ्तार...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री राजकुमार पाण्डेय के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध धरपकड व बरामदगी अभियान के क्रम मे आज दिनांक 20.02.2021 को थाना प्रभारी चरखारी लाखन सिंह द्वारा उ0नि0 चेतराम के नेतृत्व में गठित टीम ने अभियुक्तों के विरुद्ध धरपकड अभियान में सम्मलित होकर हनुमंती मंदिर के आगे बायी तरफ जाने वाले सेक्टर रोड से 50 कदम की दूरी पर वहद ग्राम बमरारा व फासला करीब 10 किमी उत्तर पूर्व से से 02 नफर अभियुक्त मुसम्मी 1.राहुल पुत्र बृजलाल उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम बिरहुनी थाना मुस्करा जिला हमीरपुर हाल निवासी ग्राम बलराम राजपूत उम्र करीब 26 निवासी ग्राम रोशनपुरा थाना चरखारी जिला महोबा 2. भूपेन्द्र पुत्र रोशनपुरा थाना चरखारी जिला महोबा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 48/21 धारा 60 **EX ACT** व मु.अ.स. 49/21 धारा 60 **EX ACT** पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

उ.नि. चेतराम मय हमराह होमगार्ड दिलीप कुमार थाना चरखारी जनपद महोबा।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1.राहुल पुत्र बलराम राजपूत उम्र करीब 26 निवासी ग्राम रोशनपुरा थाना चरखारी जिला महोबा 2. भूपेन्द्र पुत्र बृजलाल उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम बिरहुनी थाना मुस्करा जिला हमीरपुर हाल निवासी ग्राम रोशनपुरा थाना चरखारी जिला

बरामदगी – अभियुक्तगणों के कब्जे से दो अदद पिपिया 10-10 ली.कच्ची शराब महुवा नाजायज बरामद होना।

थाना कोतवाली महोबा नगर पुलिस ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन पर वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी/धरपकड के अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 20.02.2021 को थाना कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री अनूप कुमार दुबे द्वारा गठित की गयी टीम जिसमें व0उ0नि0 श्री आनन्द कुमार मय हमराह कां0 कृष्णपाल मय होगा0 हिमान्शू सक्सेना के द्वारा अभियान में शामिल होकर वाँछित अभियुक्त लवकुश तिवारी उर्फ लकी पुत्र श्री अनुरूद्ध तिवारी निवासी मुहल्ला रायकोट थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा सम्बन्धित मु.अ.सं. 683/2020 धारा- 364 भादवि को कीरत सागर के पास शंकर ढाबा महोबा से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

गिरफ्तार वांछित अभियुक्त का विवरणः-

लवकुश तिवारी उर्फ लकी पुत्र श्री अनुरूद्ध तिवारी उम्र 19 वर्ष निवासी मुहल्ला रायकोट थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. व0उ0नि0 श्री आनन्द कुमार थाना कोतवाली जनपद महोबा
2. कां0 कृष्णपाल सिंह
3. होगा0 हिमान्शू सक्सेना

महोबा पुलिस

दिनांकः- 20.02.2021

सोशल मीडिया सेल

थाना कोतवाली महोबा पुलिस ने शातिर जिलाबदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन पर जिलाबदर शातिर अपराधियों के सत्यापन करने व उनकी गतिविधियों पर नजर रखे जाने व उनकी गिरफ्तारी/धरपकड के अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्री अनूप कुमार दुबे द्वारा गठित उ0नि0 श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में टीम द्वारा अभियान में सम्मलित होकर जिलाबदर अभियुक्त रोहित तिवारी पुत्र हरीबाबू तिवारी निवासी- भटीपुरा थाना कोतवाली जिला महोबा को मु0 गांधीनगर पीडब्ल्यूडी तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया । जिस पर अभियुक्त के विरुद्ध जिलाबदर की शर्तों का उल्लघन करने पर अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 78/2021 धारा **10** यू**0**पी**0** गुण्डा एक्ट पंजीकृत कर माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

उक्त अभियुक्त को जिला अधिकारी महोबा द्वारा दिनांक 23.10.**2020** से **6** माह के लिये जिला बदर घोषित किया गया था।

जिलाबदर अभियुक्त का विवरणः-

रोहित तिवारी पुत्र हरीबाबू तिवारी उम्र 26 वर्ष निवासी भटीपुरा थाना कोतवाली महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ**0**नि**0** श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह
2. कां0 उमाशंकर यादव

दिनांकः- 20.02.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल

"मिशन शक्ति" अभियान के तहत नोडल अधिकारी मय टीम द्वारा बालिकाओं/महिलाओं को उनके अधिकारो के प्रति किया गया जागरूक

आज दिनाँक 20.02.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में जनपद में संचालित हो रहे **"मिशन शक्ति"** महाभियान कार्यक्रम के तहत नोडल अधिकारी मिशन शक्ति निरीक्षक रचना सिंह मय टीम के साथ **थाना खन्ना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम तमौरा** में आयोजित मिशन शक्ति जागरुकता कार्यक्रम के अन्तर्गत उपस्थित बालिकाओं एवं महिलाओं को नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन व नारी सुरक्षा के प्रति जागरुक किया गया। अपनी सुरक्षा व स्वावलंबन के प्रति जागरुक होकर तत्काल असामाजिक तत्वों के विरुद्ध हेल्पलाइन नम्बरों- 112, 1090, 1076 या अपने नजदीकी पुलिस थाने को सूचना दें या फिर पुलिस के ट्वीटर हैंडल **@mahobapolice @Uppolice** का भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही उन्हे साइबर अपराध एवं महिला कानूनो की भी जानकारी दी देते हुये सभी को मिशन शक्ति जागरुकता पम्पलेट्स का वितरण भी किया गया।

कबरई पुलिस द्वारा 01 नफर वाँछित एवं 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

आज दिनाँक 20.02.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे वाँछित/वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत प्र0नि0 कबरई दीपक कुमार पाण्डेय द्वारा गठित 02 टीमों द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत **मु0अ0सं0 73/21 धारा 452/354/504/506 भादवि** में वांछित अभियुक्त केशव सिंह पुत्र गजराज सिंह निवासी ग्राम बम्हौरी काजी थाना कबरई जिला महोबा को गिरफ्तार किया गया। इसी क्रम में वारन्टी अभियुक्त देवीदीन पुत्र टीका राम कुशवाहा नि0 मकरबई थाना कबरई जिला महोबा, सम्बन्धित **वाद सं0 74/19 धारा 452/376/511/323/506 भादवि व 3(1)द,ध व 3(2)5क sc/st Act** को गिरफ्तार कर सम्बन्धित मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1. वाँछित अभियुक्त केशव सिंह पुत्र गजराज सिंह निवासी ग्राम बम्हौरी काजी थाना कबरई जिला महोबा।
2. वारन्टी अभियुक्त देवीदीन पुत्र टीका राम कुशवाहा नि0 मकरबई थाना कबरई जिला महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 राहुल कुमार पाण्डेय
2. उ0नि0 ब्रह्मदीन
3. कां0 दिपेश कुमार

अग्निशमन विभाग की गाडियों की हुई नीलामी

आज दिनाँक 20.02.2021 को जिलाधिकारी महोबा श्री सतेन्द्र कुमार, पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के आदेशानुसार टीम का गठन कर अग्निशमन विभाग द्वारा कन्डम की गई गाडियों की नीलामी की गई। जिसमें श्री रमेश जी डिप्टी कलेक्टर, श्री सुरेश कुमार (एआरटीओ), श्री राहुल पाल मुख्य अग्निशमन अधिकारी, महोबा, श्री ललित नारायण द्विवेदी प्रभारी परिवहन शाखा पुलिस लाइन, महोबा उ0नि0 देवेश तिवारी प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, महोबा की अध्यक्षता में (जीप मॉडल - 1997,गाड़ी नंबर UP 95 2104, मोटर फायर इंजन, मॉडल 1989- गाड़ी नंबर UP 91 2645) आदि गाडियों की नीलामी प्रक्रिया सकुशल संपन्न हुई। जिसमें तमाम लोगो द्वारा बोली लगाकर नीलामी में प्रतिभाग किया गया।

दिनांकः- 20.02.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल

क्षेत्राधिकारी नगर एवं कुलपहाड़ मय पुलिस बल के मुख्य बाजार/सर्राफा बाजार में की गई पैदल गस्त

आज दिनाँक 20.02.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय मय कोतवाली महोबा पुलिस बल के साथ एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री कालू सिंह मय कुलपहाड़ पुलिस बल के साथ नगर/कस्बे के सर्राफा बाजार/बस-स्टैण्ड/मुख्य बाजार आदि जगहो पर पैदल गस्त की गई । गस्त के दौरान बाजार में संदिग्धों की चेकिंग व पूछताछ की गई । इसके साथ ही समस्त थानों द्वारा अपने क्षेत्र में पैदल गस्त के दौरान बिना नं0 व संदिग्ध वाहनो को रोककर पूछताछ व चेकिंग की गई। पैदल गस्त का उद्देश्य आमजन मानस को सुरक्षा का अहसास दिलाना व अराजक तत्वों पर नजर रखना है। साथ ही यातायात नियमों के तहत **07 वाहनों से 700/-रु0 शमन-शुल्क व 57 ई-चालान** किये गये।

गुड मॉर्निंग महोबा

महोबा पुलिस

महोबा पुलिस द्वारा `गुड मॉर्निंग महोबा` अभियान के तहत पुलिस/नागरिकों के बीच "पुलिस मित्र" के रुप में बेहतर सम्बन्ध स्थापित करने की अनोखी पहल है । गुड मार्निंग टीमें क्षेत्र में भ्रमण के दौरान छात्र/छात्राओं से मार्निंग वाक के दौरान उनकी पढ़ाई/परीक्षाओं की तैयारियों के बारे में भी वार्ता की गई एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई । साथ ही महिलाओं को सुरक्षा का अहसास कराया गया ।

सोशल मीडिया सेल

दिनांक 20.02.2021